

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2016—फाल्गुन 7, शक 1937

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2016

क्र. एफ-3-01-2016-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-प.ब.-एक, तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2016 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

(2) क्रमांक एफ-3-01-2016-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उप चुनाव 2016 के लिये मतदान के दिन दिनांक 13 फरवरी 2016 (शनिवार) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा :—

### अनुसूची

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम	मतदान की तारीख
(1)	(2)
जिला सतना के 65—मैहर	13 फरवरी 2016 (शनिवार)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आनंद कुमार शर्मा, अपर सचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2016

क्र. एफ. 1(ए) 58-2012-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2015 द्वारा डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, खण्डवा को दिनांक 15 से 22 दिसम्बर 2015 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम पार्ट 2014-15 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा के तहत उन्हें त्रिवेन्द्रम (केरल) की सपरिवार जाने की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे को अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है. यथावत रहेंगी.

क्र. एफ. 1(ए) 61-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 फरवरी 2016 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त करते हुए, श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से., उप महानिरीक्षक (पी.टी.आर.आई.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 8 से 19 फरवरी 2016 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. एफ. 1(ए) 390-88-ब-2-दो.—श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु दिनांक 18-19 फरवरी 2016 तक दो दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20, 21 एवं 22 फरवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ. 1(ए) 399-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री सी.व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एन्टी नाक्सालईट आपरेशन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 फरवरी से 24 मार्च 2016 तक, इकतीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 20-21, 22 एवं 25 मार्च 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री सी.व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी नाक्सालईट आपरेशन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आर.एस.मीना, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नाक्सालईट आपरेशन, पुलिस मुख्यालय, द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सी.व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (एन्टी नाक्सालईट आपरेशन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सी.व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से. भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्य मुक्त हो जावेंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सी.व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से. भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी.व्ही. मुनिराजू, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

## वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्र. एफ-11-5-2016-बी-ग्यारह.—उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-1/2010/बी-ग्यारह, भोपाल, दिनांक

4 जनवरी 2011 से जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ऐपेरल कल्स्टर ग्राम बिजेपुर तहसील, देपालपुर.	इन्दौर	27.908
2	फार्मा हर्बल कल्स्टर, ग्राम, बिजेपुर तहसील, देपालपुर.	इन्दौर	8.868

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल भारतीय, उपसचिव.

### श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2016

क्र. 189-2310-2015-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट रतलाम जिले के स्थानीय समाधानकर्ता को संदर्भित हीरा श्रमिक संघ, पीथमपुर एवं कारखाना प्रबंधक, रोजी ब्ल्यू (इण्डिया) प्रायवेट, पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद में, सम्मिलित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है, अर्थात्:—

### “अनुसूची”

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/एम.पी.आई.आर./15

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. वाष्ण्य, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2016

क्र. 189-2310-2015-ए—सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की

अधिसूचना क्र. 2310-2015-ए-सोलह, दिनांक 6 फरवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. वाष्ण्य, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 6th February 2016

No. 189-2310-2015-A-XVI.— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby, notifies that no settlement was arrived at in the industrial dispute specified in the Schedule below between Heera Shramik Sangh, Pithampur, and the Factory Manager of Rosy Blue (India) Private Limited, Pithampur, District Dhar in regard to Industrial metter included therein, referred to the Conciliator for the Local area of District Ratlam, namely:—

### SCHEDULE

Industrial Dispute No. 1/MP/IR/15

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
M. K. VARSHNEY, Principal Secy.

### किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2016

### संशोधन

क्र. डी-15-43-2016-चौदह-3.—कृषि उपज मंजी समिति, हरपालपुर की उपमंडी नौगांव को स्वतंत्र मंडी स्थापित करने हेतु अंतिम अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के असाधारण राजपत्र क्र. 419 के पृष्ठ क्रमांक 838 (1) पर त्रुटिवश मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 5(2) (क) के अन्तर्गत नगरपालिका पृथ्वीपुर, तहसील नौगांव जिला छतरपुर प्रकाशित हो गई है.

उक्त के स्थान पर संशोधित “नगरपालिका नौगांव, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर, पढ़ा जावे.

अजय गुप्ता, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 8 फरवरी 2016

क्र. 255-भू.अभि.-रा.नि.का.-2016.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील बदनावर, जिला धार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)				राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर		
(1)				(2)		
अ.क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	टीमायची	26	3211.728	टीमायची	26	1508.673
				कुमार रूण्डी	26	1207.938
				बीड़पाडा	26	495.117
						<u>3211.728</u>

क्र. 257-भू.अभि.-रा.नि.का.-2016.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील-बदनावर, जिला-धार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)				राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर		
(1)				(2)		
अ.क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	बदनावर	15	2537.470	बदनावर	15	1094-114
				शम्भुपाड़ा	15	568.259
				भेरुपाड़ा	15	875.097
						<u>योग . . 2537.470</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्र. 196.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)		राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	
(1)		(2)	
ग्राम सेजवाडा खुर्द प.ह.नं. 25 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-373.119 हेक्टेयर.		ग्राम-आमाकोल प.ह.नं.-25.	

क्र. 197.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)		राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	
(1)		(2)	
ग्राम बिनैकी, प.ह.नं. 32 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-313.627 हेक्टेयर.		ग्राम-बिनैकीढाना प.ह.नं.-32.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

टीकमगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2016

प्रकरण क्र. 05-अ-82-2014-15.— चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

- परियोजना का नाम :- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु।
- भूमि का विवरण :- ग्राम— कुडुयाला तहसील—बल्देवगढ़ जिला—टीकमगढ़ अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—10.006 हेक्टेयर

**अनुसूची**

अनु क्र.	खातेदार का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हे. में
1	शोभाराम रामकुमार विन्द्रावन तनय भज्जू जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी गनेश रमेश लखन तनय बैनीप्रसाद जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी आशाराम तनय नंदकिशोर मु. नन्नीबाई बेबा नंदकिशोर जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.81	580	0.324	0.284
		574	3.120	0.280
	<b>योग—</b>		<b>3.444</b>	<b>0.564</b>
2	मोतीलाल राममिलन चूरामन मनोहर तनय शिवदयाल जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी मु. लड्डू पत्नि तांतू जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.40	573	1.100	0.520
		571	0.206	0.050
		572	1.254	0.820
	<b>योग—</b>		<b>2.560</b>	<b>1.390</b>
3	शिवदयाल शिवलाल तनय पर्वत जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 6.56	570/3	2.881	0.518
	<b>योग—</b>		<b>2.881</b>	<b>0.518</b>
4	श्रीमति सहोदरा पत्नि हीरालाल जाति लोधी पता नि० सरकनपुर भूमि स्वामी श्रीमति शीलादेवी पत्नि घनश्याम जाति लोधी पता नि० कैलपुरा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी बृजलाल मुलुवा लछुवा मथरा सुकलाल तनय कलुवा जाति दीमर पता नि० ग्राम भूमि स्वामी श्यामबाई पुत्री कलुवा जाति दीमर पता नि० ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.22	371	3.709	0.695
	<b>योग—</b>		<b>3.709</b>	<b>0.695</b>

5	भैयालाल तनय मोहन हि0 1/4 धर्मा हरचरन तनय जगना हि0 1/6 मथरा प्रेम नंदलाल भूमि स्वामी रामस्वरूप वैजनाथ तनय प्यारे कुंवर जानकी पुत्री प्यारे मु0 नन्नी बाई प्यारे हि. 1/2 हरचरन तनय नंदी हि0 1/4 जाति लोधी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी राजधर तनय झल्ली गोविन्दास देवेन्द्र कन्हैया मुन्नालाल तनय नन्दा जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी	365	0.081	0.081
		364	0.073	0.073
		362	0.279	0.080
		360	0.134	0.110
		357	0.206	0.060
	<b>योग-</b>		<b>0.773</b>	<b>0.404</b>
6	लटोरा तनय वंशिया रधिया कल्लू खिमिया पुत्री वंशिया जाति डीमर पता नि. ग्राम भूमि भू राजस्व 7.62	353	0.761	0.270
		361	0.470	0.220
		358	0.308	0.130
	<b>योग-</b>		<b>1.539</b>	<b>0.620</b>
7	हरचरन त0 नंदी हि. 1/6 हरचरन त. जगना हि. 1/9 गोविन्दास देवेन्द्र कन्हैया मुन्ना तनय नन्दा राजधर तनय झल्ली हि0 1/6 जाति लोधी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी हन्नु किशोरीतनय गज्जू मु0 नोनीबाई पिवकू पुत्री गज्जू जाति डीमर पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी	334	0.599	0.230
		331	0.024	0.024
		330/1	0.101	0.101
		330/3	0.121	0.121
		333/1	0.040	0.030
		333/3	0.121	0.040
	<b>योग-</b>		<b>1.006</b>	<b>0.546</b>
8	परम रती दुर्जना भगवानदास त. मनका भूमि स्वामी शिवराज राहुल तनय गोरेलाल मु. गुलाबबाई बेबा गोरेलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी खिलन लक्षमन तनय मुलुवा विमला कमला पुत्री मुलुवा मु. भगुन्ती वेवा मुलुवा गनपत सरमन तनय धर्मा हरीराम बिहारी घासीराम भूरा अर्जना तनय नंदकिशोर हि. 1/12 जाति लोधी भूमि स्वामी परमी पुत्री ढकना हि. 1/2 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी रामचरन तनय मकुन्दा रामदास राकेश बालकिशन तनय पहलवान मु. सग्गू बेबा पहलवान जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पत्ती मल्दी पुत्री पहलवान रामकृपाल तनय ग्यादीन सहोद्रा बेबा ग्यादीन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी अंतराम लखन राजाराम रमेश देशराज तनय घन्सु माया रामसखी पुत्री घन्सु मु. बाबूबाई बेबा घन्सु जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी पुष्पेन्द्र अमित तनय धनीराम राजकुमारी पुत्री धनीराम मु. गनेशीबाई बेबा धनीराम जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/12 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.06	329	0.049	0.040
	<b>योग-</b>		<b>0.685</b>	<b>0.600</b>
9	परमी पुत्री ढकना जाति लोधी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.81	327/1	1.214	0.083
	<b>योग-</b>		<b>1.214</b>	<b>0.083</b>
10	खिलन लक्षमन तनय मुलुवा विमला कमला पुत्री मुलुवा मु. भगुन्ती वेवा मुलुवा गनपत सरमन त0 धर्मा हरीराम बिहारी घासीराम भूरा अर्जन तनय नंदकिशोर बेटी बाई वेवा नंदकिशोर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.95	327/3	0.405	0.082
	<b>योग-</b>		<b>0.405</b>	<b>0.082</b>

11	परम साँवर रती दुर्जना भगवानदास तनय मनका जाति लोधी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी शिवराज राहुल तनय गोरेलाल मु. गुलाबबाई वेवा गोरेलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	327/4	0.405	0.082
		301/1/1/1	1.619	0.376
	<b>योग-</b>		<b>2.024</b>	<b>0.458</b>
12	खिन्ता रामप्रसाद हरप्रसाद तनय नन्नाई पता नि० ग्राम भूमि स्वामी मु. पुनिया बेबा नन्नाई हि. 1/4 जाति लोधी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी सुन्दर कमलेश मुकेश तनय लीलाधर मु० सुकवती बेबा लीलाधर जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी शिवदयाल शिवलाल तनय पर्वत जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी श्रीमती सहोद्रा पत्नि हीरालाल जाति लोधी पता नि० सरकनपुर भूमि स्वामी श्रीमति शीलादेवी पत्नि घनश्याम जाति लोधी पता नि. कैलपुरा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.31	316	0.109	0.109
		317	0.073	0.073
		318	0.210	0.130
	<b>योग-</b>		<b>0.392</b>	<b>0.312</b>
13	सुन्दर कमलेश मुकेश तनय लीलाधर मु० सुकवती बेबा लीलाधर जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी अजुही तनय मोहन जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी खिन्ता रामप्रसाद हरप्रसाद तनय नन्नाई मु० पुनिया बेबा नन्नाई जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी शिवदयाल सेवलाल तनय पर्वत जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी श्रीमति सहोद्रा पत्नि हीरालाल जाति लोधी पता नि० सरकनपुर भूमि स्वामी श्रीमति शीलादेवी पत्नि घनश्याम जाति लोधी पता नि. कैलपुरा 1/4 समान भाग भूमि स्वामी श्रीमति सहोद्रा पत्नि हीरालाल जाति लोधी पता नि. सरकनपुर भूमि स्वामी चतू तनय मुन्नी जाति लोधी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी काशीराम तनय छुट्टी मथरा पुत्री छुट्टी मु. फूलाबाई बेबा छुट्टी जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.75	315	0.065	0.030
		314	0.607	0.530
	<b>योग-</b>		<b>0.672</b>	<b>0.560</b>
14	चतरा तनय मौनलाल जाति ढीमर पता नि० डारगुवा भूमि स्वामी	310	0.668	0.340
		307	0.441	0.295
		308	0.388	0.190
	<b>योग-</b>		<b>1.497</b>	<b>0.825</b>
15	चतरा तनय मौनलाल हि. 1/2 भरोसा हिरिया पिखा तनय छता हि. 1/2 जाति ढीमर पता नि. डारगुवा भूमि स्वामी	311	0.348	0.220
	<b>योग-</b>		<b>0.348</b>	<b>0.220</b>
16	भरोसा हरिया पिरवा तनय छता जाति ढीमर पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.87	312	0.299	0.070
	<b>योग-</b>		<b>0.299</b>	<b>0.070</b>
17	लटोरा तनय वंशिया रंधिया कल्लू खिमिया पुत्री वंशिया जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि भू राजस्व 0.69	306	0.308	0.250
	<b>योग-</b>		<b>0.308</b>	<b>0.250</b>

18	जू जू तनय गनेशा जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.00	292/1	1.214	0.971
	<b>योग—</b>		<b>1.214</b>	<b>0.971</b>
19	बृजलाल मुलुवा लछुवा मधवा सुकलाल तनय कलुवा श्याम पुत्री कलुवा जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.25	302	0.081	0.081
		303	0.020	0.020
		304	0.089	0.089
		305	0.024	0.024
	<b>योग—</b>		<b>0.214</b>	<b>0.214</b>
20	हरजुवा मोहन अजुददी तनय बुद्ध मु. धुकिया बेबा बुद्ध जाति ढीमर पता नि० ग्राम भूमि स्वामी	286	0.121	0.080
		287	0.146	0.146
		284	0.105	0.004
	<b>योग—</b>		<b>0.372</b>	<b>0.230</b>
21	सन्तू जूजू तनय गनेशा जाति ढीमर पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.25	288	0.077	0.077
		289	0.057	0.012
	<b>योग—</b>		<b>0.134</b>	<b>0.089</b>
22	नन्दू हरचरन हरदास तनय किशोरा मु० गौरिया बेबा किशोरा जाति ढीमर पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.75	291	0.328	0.225
	<b>योग—</b>		<b>0.328</b>	<b>0.225</b>
23	नथुवा तनय चिन्खुवा जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	285	0.563	0.080
	<b>योग—</b>		<b>0.563</b>	<b>0.080</b>
	<b>कुल योग—</b>		<b>26.581</b>	<b>10.006</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.



प्रकरण क्र. 14-अ-82-2014-15.— चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

1. परियोजना का नाम :- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु।

2. भूमि का विवरण :- ग्राम-मलगुंवा तहसील-बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़ अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-1.620 हेक्टेयर

### अनुसूची

स.क्र.	खातेदार का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा हे. में
1	लखन तनय सुन्ना गौरीबाई शिम्बू मैदा पुत्री सुन्ना रामप्यारी बेबा सुन्ना जाति चमार पता नि० ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी धूराम अर्जना तेजराम तनय कुदरा सुकरानी बेबा कुदरा जाति चमार पता नि० ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.75	908	1.104	0.355
		907	0.583	0.270
		821/2	0.193	0.050
		822/2	0.121	0.106
	योग -		2.001	0.781
2	भैयालाल राजाराम हल्का पिता भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.56	822/1	0.231	0.050
	योग -		0.231	0.050
3	धूराम अर्जुन जेताराम तनय कुदरा सुखरानी वेवा कुदरा 1/36 जाति चमार भूमि स्वामी सुन्नू तनय रामचरण 1/18 गोविन्द तनय सुखलाल हि. 2/81 ग्यादीन हीरालाल तनय नथू लखनलाल तनय अर्जुन ना.वा. जाति चमार भूमि स्वामी सरं. अजा. नथू तनय नन्दू नि. बुदौरा 2/27 रामप्रसाद सुखलाल रामदीन छोटेलाल तनय कूरन भूमि स्वामी जयबाई पति रामदीन लोधी 1/27 गोरेलाल तनय जसस्थ 1/9 गुलाबबाई पुत्री भैयन 1/12 भूमि स्वामी जमुना तनय धर्मदास 1/36 पूरन जसस्थ तनय दुर्गाप्रसाद 1/81 अनंतराम जगदीश तनय सुन्नू 1/243 भूमि स्वामी जानकी बन्दु तनय बिहारी 1/486 छिदामी भागी तनय सुन्दर 1/81 किशोरी लक्ष्मन तनय परम 1/81 भूमि स्वामी कल्ला तनय रामचरण 1/81 रामदयाल सुंदर तनय किशोरा 1/27 भूमि स्वामी जगन काशीराम गौरीशंकर तनय जीवन छित्तू जनकू बेटीबाई सूला कसोला लच्छी पुत्री जीवन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी परमा सुन्नू जसस्थ तनय रामचरण जमनाबाई पुत्री रामचरण 1/27 खचोरी मोहन तनय जुगरा भूमि स्वामी हरप्रसाद पुरुषोत्तम भगवानदास सरजू तनय भैयन हि. 2/27 बिहारी अमना वावू मोहन तनय संगू 1/27 भूमि स्वामी रघुनाथ तनय बदरप्यारी वाई वेवा दमरा चत्तू वेवा गुदटे नन्नीवाई पुत्री गुदटे मु. हिरिया वेवा रामस्वरूप भूमि स्वामी	827	0.348	0.025
		823	0.433	0.190
		826	0.255	0.185
		830	0.142	0.035
		824	0.251	0.096
		825	0.138	0.046
		831	0.295	0.002

	<p>वालचंद देवेन्द्र राघवेन्द्र तनय रामस्वरूप ललीवाई पुत्री सुक्का अच्छेलाल भूमि स्वामी रामचरन विहारी देशराज तनय कुंजीलाल 1/18 भैयन चन्ना तनय धनु 1/54 लोधी रमजुवा तनय दमरूवा जाति चमार जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/54 भाग भूमि स्वामी पंचा तनय नंदु 1/54 भूरिया देवा अच्छेलाल अमना दयाराम प्रभू रतन तनय धम्मू प्यारीबाई पुत्री धम्मू पानबाई देवा धम्मू देवेन्द्र पुष्पेन्द्र राघवेन्द्र तनय लखन चंदा पुत्री लखन लोधी 1/27 गोरेलाल भगवानदास तनय धुरईया जाति लोधी पता निवासी ग्रामी 7/108 समान भाग भूमि स्वामी भगवानदास गोरेलाल तनय धुरईया भुभानीबाई बेबा धुरईया जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भागवती गोरीबाई वती पुत्री धुरईया जाति लोधी पता निवासी ग्राम 7/108 समान भाग भूमि स्वामी लखन तनय सुन्ना गोरीबाई सिम्बू मैदा पुत्री सुन्ना रामप्यारी देवा सुन्ना जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/36 समान भाग भूमि स्वामी भजन भगवानदास लखन प्यारेलाल राजू तनय दूडे बेनीबाई पुत्री दूडे पता निवासी ग्राम 1/27 समान भाग भूमि स्वामी</p>			
	<b>योग -</b>		<b>1.862</b>	<b>0.579</b>
4	<p>मु. भूरिया बेबा अच्छेलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी गिरजा पत्नि भगवानदास जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी खचौरी मोहन तनय जुग्गा जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/12 समान भाग भूमि स्वामी हरप्रसाद पुरुषोत्तम सरजू भगवानदास तनय भैयन जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/12 समान भाग भूमि स्वामी दयाराम प्रभू रतन तनय धम्मू पानबाई देवा धम्मू प्यारीबाई पुत्री धम्मू देवेन्द्र पुष्पेन्द्र राघवेन्द्र तनय लखन चंदा पुत्री लखन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/6 भाग भूमि मोती लछुवा तनय अमना कुडयालावारी देवा अमना मैदा फुल्ली पुत्री अमना जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी</p>	816	0.587	0.210
	<b>योग -</b>		<b>0.587</b>	<b>0.210</b>
	<b>कुल योग :-</b>		<b>4.681</b>	<b>1.620</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.

प्रकरण क्र. 15-अ-82-2014-15.—चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालयवल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

1. परियोजना का नाम :- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु।
2. भूमि का विवरण :- ग्राम-बुदौरा तहसील-बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़ अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-4.309 हेक्टेयर

#### अनुसूची

स.क्र.	खातेदार का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा हे. में
1	भजनलाल भगवानदास प्यारेलाल लखनलाल तनय टूडे राजू पिता टूडे जगन काशीराम गोरीशंकर तनय जीवनलाल, परमलाल सुन्नू जसरथ तनय रामचरन 1/3 हि. कुन्ना प्रेम रती पुत्री नन्नाई 1/105 हि. लाल्ले भुमानी तनय वंशी लोधी खल्का भैयालाल राजाराम तनय भग्गू सुनिया वेवा भग्गू लोधी 2/9 हि. छिम्मा तनय पारीक्षत गुलाब कमलापति बन्दु तनय बाबू गुड्डी वेवा बाबू लोधी 1/3 हि. घनश्याम भुकदीन अर्जुन तनय नन्नाई लोधी भगुन्तीबाई वेवा चिन्तामन धनीराम हरीराम फूलदास तनय चिन्तामन मैदाबाई पुत्री चिन्तामन लोधी 32/315 हि. पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	707	0.174	0.006
		706	0.040	0.040
		705	0.097	0.030
	योग :-		0.311	0.074
2	खल्का भैयालाल राजाराम तनय भग्गू मु. सुनिया बेबा भग्गू जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.56	704	0.462	0.310
		710	0.660	0.170
	योग :-		1.122	0.480
3	जगन काशीराम गोरीशंकर तनय जीवनलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी परमा सुन्नू दरऊवा तनय रामचरन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 15/32 समान भाग भूमि स्वामी पूरन तनय परम सुन्नू दशरथ तनय रामचरन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/32 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.69	703	0.299	0.096
		695	0.129	0.030
		698	0.304	0.100
	योग :-		0.732	0.226

4	भजनलाल भगवानदास प्यारेलाल राजू लखनलाल तनय दूडे, 1/2 हि. भूमि स्वामी जगन काशीराम गौरीशंकर पिता जीवनलाल 1/4 हि. परमलाल सुन्नूलाल जशरथ तनय रामचरन 1/4 हि. जाति लोधी पता निवासी ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00	696	0.255	0.212
	योग :-		0.255	0.212
5	भजनलाल भगवानदास लखनलाल प्यारेलाल राजू तनय दूडा जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.06	682	0.733	0.002
		688	0.077	0.040
	योग :-		0.810	0.042
6	भजनलाल भगवानदास लखनलाल प्यारेलाल राजू तनय दूडा जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी जगन काशीराम गौरीशंकर तनय जीवनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी परमा सुन्नू दरऊआ तनय रामचरन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 15/64 समान भाग भूमि स्वामी पूरन तनय परम सुन्नू दशरथ तनय रामचरन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/64 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00	693	0.975	0.426
	योग :-		0.975	0.426
7	रामबाई पत्नि सुन्नू जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.93	724/1/2/ 11/ख	0.389	0.089
	योग :-		0.389	0.089
8	परमा सुन्नू दरऊआ तनय रामचरन लोधी 15/16 समान भाग भूमि स्वामी पूरन तनय परम सुन्नू दशरथ तनय रामचरन जाति लोधी 1/16 हि नि. ग्राम भूमि स्वामी	724/1/2/ 6	0.610	0.197
	योग :-		0.610	0.197
9	रमलू हल्के ग्यादीन हीरालाल तनय नथुवा जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी लखन तनय अर्जुन लल्ली बेबा अर्जुन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.50, 20/21 हि. लल्लाबाई टिरकन पुत्री नथुवा लोधी 1/21 हि.	724/1/2/ 4	0.619	0.300
	योग :-		0.619	0.300
10	खज्जू संतोष छिमाधर हल्के तनय परसादी जाति लोधी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.75	608/1/1	0.708	0.165
	योग :-		0.708	0.165
11	जगनलाल तनय जीवन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.00	608/6	0.405	0.327
	योग :-		0.405	0.327

12	परमा सुन्नू दरउआ तनय रामचरन जाति लोधी पता नि. ग्राम 15/32 समान भाग भूमि स्वामी पूरन तनय परम सुन्नू दशरथ तनय रामचरन जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/32 समान भाग भूमि स्वामी काशीराम गौरीशंकर तनय जीवनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी	616	0.802	0.055
	योग :-		0.802	0.055
13	गंसू सुकदीन अर्जुन तनय नन्नाई जाति लोधी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.12	618/2	0.445	0.103
		614	0.781	0.103
		619	0.898	0.495
		620	0.364	0.060
		609/2	0.320	0.170
	योग :-		2.808	0.931
14	पप्पू तनय छिमाधर जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/5 भाग भूमि स्वामी मुकेश तनय खज्जू सुरेन्द्र तनय संतोष अशोक तनय हल्के जाति लोधी पता नि. ग्राम 4/5 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.50	610	1.011	0.020
	योग :-		1.011	0.020
15	मुकेश तनय खज्जू जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी अशोक तनय हल्के जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्र तनय संतोष जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.37	609/1	0.570	0.170
	योग :-		0.570	0.170
16	सरमन तनय काशी जाति लोधी भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.50	608/7	1.416	0.595
	योग :-		1.416	0.595
	कुल योग :-		13.543	4.311

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.

प्रकरण क्र. 16-अ-82-2014-15.— चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्राल वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम :- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु।
2. भूमि का विवरण :- ग्राम-देवरदा ऊगड़ तहसील-बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़ अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-10.026 हेक्टेयर

### अनुसूची

स.क्र.	खातेदार का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा हे.में
1	नीरज अमित सुमित तनय नारायणदास 1/6 जगदीश हरिशचंद्र तनय वंशी 1/6 जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी स्वामी प्रसाद जुगल किशोर हरिशंकर अयोध्याप्रसाद अंबिका प्रसाद रामकिशन तनय रामभरोसे उमा वेवा भूमि स्वामी रामगोपाल हि.	542	0.291	0.120
	1/2 परमलाल काशीराम गोविन्दास गनेश रामप्रसाद सरजू तनय हल्कू जाति अहिरवार भूमि स्वामी नि. बुदौरा हि. 1/48 मुन्ना तनय डिल्ली यादव हि. 1/16 पता नि. ग्राम भूमि स्वामी स्वामीप्रसाद रतीराम तनय कनई 1/36 जाति यादव पता नि. देवरदा भूमि स्वामी	541	1.602	0.404
		540	1.437	0.342
	<b>योग-</b>		<b>3.330</b>	<b>0.866</b>
2	स्वामी प्रसाद जुगल किशोर हरिशंकर अयोध्याप्रसाद अम्बिकाप्रसाद रामकिशन तनय रामभरोसे उमा वेवा रामगोपाल जाति ब्राह्मण पता नि. देवरदा 1/2 भाग भूमि स्वामी जगदीश हरिशचंद्र तनय वंशी 1/4 जाति ब्राह्मण पता नि. देवरदा भूमि स्वामी नीरज अमित सुमित तनय नारायणदास जाति ब्राह्मण पता नि. निवासी देवरदाखास 1/4 समान भाग भूमि स्वामी	531/क	1.181	0.336
		531	0.579	0.190
		530	0.947	0.392
	<b>योग-</b>		<b>2.707</b>	<b>0.918</b>
3	स्वामी प्रसाद जुगल किशोर हरिशंकर अयोध्याप्रसाद अम्बिकाप्रसाद रामकिशन तनय रामभरोसे जाति ब्राह्मण पता नि. देवरदा भूमि स्वामी उमा बेबा रामगोपाल जाति ब्राह्मण पता नि. देवरदा भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.44	529	1.303	0.258
	<b>योग-</b>		<b>1.303</b>	<b>0.258</b>

4	गुन्नी रतन तनय जानकी 2/3 रामचरन कमलु हरपाल तनय मनप्यारे जाति काछी पता नि. खरों भूमि स्वामी जसरथ कैलाश तनय मनप्यारे जाति काछी पता नि. खरों 5/18 समान भाग भूमि स्वामी रोहित ना.बा. तनय शंकर सर. मां सावित्री सुनीता पुत्री शंकर सावित्री बेबा शंकर जाति काछी पता नि. ग्राम 1/18 समान भाग भूमि स्वामी	522	1.854	0.563
		521	0.134	0.120
		518	0.987	0.130
	<b>योग-</b>		<b>2.975</b>	<b>0.813</b>
5	राजेन्द्र सिंह तनय रामनारायण जाति यादव पता नि० देवरदा भूमि स्वामी भूमि स्वामी 3.75	520	2.031	0.281
	<b>योग-</b>		<b>2.031</b>	<b>0.281</b>
6	मुलिया पत्नि चिंतामन 1/3 कमली पत्नि जगन 1/3 राजबाई पत्नि रमाशंकर नारायण तनय छदामी जाति लोधी निवासी खरों 1/3 हि. भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.62	434	2.489	0.890
	<b>योग-</b>		<b>2.489</b>	<b>0.890</b>
7	रामचरन कनई तुलसी सरमन तनय जगन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 4/20 समान भाग भूमि स्वामी राजबाई पत्नि शंकर जाति लोधी पता निवासी ग्राम 4/20 भाग भूमि स्वामी श्रीबाई पत्नि नारायण जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/10 भाग भूमि स्वामी बाबूलाल तनय मकुन्दी रामसिंह तनय मकुन्दी जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.12	437	0.922	0.232
	<b>योग-</b>		<b>0.922</b>	<b>0.232</b>
8	रामचरन कनई तुलसी सरमन तनय जगन जाति लोधी पता नि. खरों 1/10 समान भाग भूमि स्वामी राजाबाई पत्नि शंकर जाति लोधी पता निवासी ग्राम 11/60 भाग भूमि स्वामी श्रीबाई पति नारायण जाति लोधी पता निवासी ग्राम 4/30 भाग भूमि स्वामी बाबूलाल तनय मकुन्दी रामसिंह तनय मकुन्दी जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी कमली पत्नि जगन मुलिया पति चिन्तामन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.87	430	2.962	0.310
	<b>योग-</b>		<b>2.962</b>	<b>0.310</b>
9	अंगूरीबाई पत्नि नंदलाल फूलाबाई पत्नि परमलाल खिलनबाई पत्नि अर्जुन जाति लोधी निवासी खरों भूमि स्वामी भू राजस्व 0.13	441	0.057	0.057
	<b>योग-</b>		<b>0.057</b>	<b>0.057</b>
10	जानकी काशीराम देवीदयाल तनय बाबूलाल जाति लोधी पता नि. खरों भूमि स्वामी भू राजस्व 1.25	442	0.676	0.135
	<b>योग-</b>		<b>0.676</b>	<b>0.135</b>
11	शिवचरन घनश्याम तनय भल्लू जाति यादव पता नि. देवरदाखास 5/7 समान भाग भूमि स्वामी रामबगस तनय भल्लू जाति यादव पता नि. देवरदाखास 2/7 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.94	419	1.007	0.390
	<b>योग-</b>		<b>1.007</b>	<b>0.390</b>

12	भल्लू तनय भगवानदास, हनुमत तनय सरमन जाति यादव पता नि. देवरदा भूमि स्वामी बृजलाल छोटेलाल टीकाराम द्वारका प्रसाद तनय कुल्ली जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	417	2.262	0.375
		446	0.424	0.198
		447	0.684	0.124
	<b>योग-</b>		<b>3.370</b>	<b>0.697</b>
13	रामबगस तनय भल्लू जाति यादव नि. देवरदा खास भूमि स्वामी भू राजस्व 0.50	448	0.219	0.034
		449	0.190	0.084
	<b>योग-</b>		<b>0.409</b>	<b>0.118</b>
14	बिज्जन तनय सरमन सौर नि. पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.25	409/2/2	0.835	0.095
	<b>योग-</b>		<b>0.835</b>	<b>0.095</b>
15	हरदास भगवानदास हीरा तनय बदूका सौर नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.15	409/1/2	0.548	0.310
	<b>योग-</b>		<b>0.548</b>	<b>0.310</b>
16	हरदास तनय बदूका जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.90	409/2/1	1.165	0.320
	<b>योग-</b>		<b>1.165</b>	<b>0.320</b>
17	खोडेरवारी, बेवा बदूका, हरदास, भगवानदास, हीरा तनय बदूका जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी सुक्कू पारवती केशर गनेशी रामकली पुत्री बदूका जाति सौर पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.60	454/2	1.000	0.250
	<b>योग-</b>		<b>1.000</b>	<b>0.250</b>
18	हरसेवक, गौरीशंकर तनय शिवदयाल पता नि. ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी देवीचरन महेश बल्देव तनय छक्की गिरजाबाई बेबा छक्की जाति यादव पता नि. देवरदा 1/3 समान भाग भूमि स्वामी नथु तनय दुर्जन जाति यादव पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी	408	1.688	0.467
		407	2.055	0.544
	<b>योग-</b>		<b>3.743</b>	<b>1.011</b>
19	प्रेमनारायण तनय नंदलाल जाति यादव पता नि. खरों 1/2 भाग भूमि स्वामी मुन्नालाल तनय रामकिशोर जाति यादव पता नि. खरों 1/2 भाग भूमि स्वामी	404	3.306	0.980
		391/क	1.129	0.393
		389/क	0.733	0.115
		390	0.105	0.075
		381	0.134	0.040
		378	0.105	0.040
	<b>योग-</b>		<b>6.924</b>	<b>2.075</b>
	<b>कुल योग-</b>		<b>38.453</b>	<b>10.026</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## न्यायालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 4 जनवरी 2016

प्र. क्र. 01-अ-3-2015-2016.—प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना से उनके प्रकरण क्रमांक 53/बी-121/14-15 में अनुशंसा टीप दिनांक 4 अगस्त 2015 सहित तहसीलदार, तहसील सैलाना के प्रकरण क्रमांक 257-बी-121-14-15 में जांच प्रतिवेदन दिनांक 3 अगस्त 2015 सहित प्राप्त.

2. अधीनस्थ तहसीलदार, तहसील सैलाना द्वारा ग्राम पंचायत, शिवगढ़ के मजरा सोहनगढ़ को पृथक से राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु राजस्व निरीक्षक शिवगढ़ से प्रस्ताव प्राप्त किया गया. तहसीलदार, सैलाना द्वारा संपूर्ण जांच उपरान्त मय अनुशंसा के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना को भेजे जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना द्वारा ग्राम पंचायत, शिवगढ़ के मजरा सोहनगढ़ को पृथक से राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को भिजवाया गया.

3. अधीनस्थ न्यायालय के जांच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 73 के तहत नीचे उल्लेखानुसार ग्राम पंचायत, शिवगढ़ के मजरा सोहनगढ़ को पृथक से राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है. तालिका में उल्लेखानुसार शेष रकबा मूल ग्राम शिवगढ़ में यथावत रहेगा.

तहसील	मूल ग्राम एवं प.ह.नं.	प्रस्तावित राजस्व ग्राम	खाता	गैर खाता	कुल सर्वे क्रमांक	खाता क्षेत्रफल	गैर खाता	कुल क्षेत्रफल	जनसंख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
सैलाना	शिवगढ़ प.ह.नं.	सोहनगढ़ शिवगढ़	272	32	304	180.41	39.58	219.99	982
	43.		1141	137	1278	400.61	62.00	462.61	3419

अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला रतलाम उक्त दोनों राजस्व ग्रामों के पृथक-पृथक अभिलेख तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे.

प्र. क्र. 02-अ-3-2015-2016.—प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम से उनके प्रकरण क्रमांक 176/बी-121/14-15 में अनुशंसा टीप दिनांक 26 अक्टूबर 2015 सहित अपर तहसीलदार, टप्पा बिलपांक के प्रकरण क्रमांक 14832-बी-121-14-15 में जांच प्रतिवेदन दिनांक 15 अक्टूबर 2015 सहित प्राप्त.

2. अधीनस्थ अपर तहसीलदार, टप्पा बिलपांक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पंचायत, सरवड़ के 16 मजरों को 06 भागों में पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई. संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है. अपर तहसीलदार, टप्पा बिलपांक द्वारा संपूर्ण जांच उपरान्त मय अनुशंसा के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम ग्रामीण को भेजे जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम ग्रामीण द्वारा ग्राम पंचायत, सरवड़ के सूची अनुसार मजरों को पृथक से राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को भिजवाया गया.

3. अधीनस्थ न्यायालय के जांच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 73 के तहत नीचे उल्लेखानुसार ग्राम पंचायत, सरवड़ के अन्तर्गत ग्राम सरवड़ एवं मजरा गुलरीपाड़ा, कुण्डाल, ईमलीपाड़ा, बड़लीपाड़ा, पानखेड़ा को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है, तालिका में उल्लेखानुसार शेष रकबा मूल ग्राम शिवगढ़ में यथावत रहेगा.

तहसील	मूल ग्राम एवं प.ह.नं.	प्रस्तावित राजस्व ग्राम	खाता	गैर खाता	कुल सर्वे क्रमांक	खाता क्षेत्रफल	गैर खाता	कुल क्षेत्रफल	जनसंख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
रतलाम	सरवड़ प.ह.नं.	सरवड़ गुलड़ीपाड़ा	599	123	722	448.181	106.970	555.150	638
	56.	कुण्डाल	186	17	203	154.47	39.110	193.580	418
			100	24	124	150.380	86.810	237.190	447

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		ईमलीपाड़ा	134	14	148	167.360	120.060	287.420	241
		वडलीपाड़ा	237	32	269	145.970	84.310	230.280	852
		पानखेड़ा	306	45	351	171.980	47.590	219.570	590

अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला रतलाम उक्त राजस्व ग्रामों के पृथक-पृथक अभिलेख तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे.

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 21 जनवरी 2016

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

क्र. 224-भू-अर्जन-2016-क्र. 11-अ-82-2015-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह, जिला-खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	पन्धान्या प.ह.नं. 24	18 19/1 19/2 19/3 20/1 20/2	0.572 0.010 0.095 0.096 0.048 0.036
योग . .				0.857

मधुवंतराव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वा.), जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2014

क्र. स्था.-निर्वा.-मण्डी-2014-1081.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति पलेरा 284 जिला टीकमगढ़ के व्यापारी सदस्य एवं तुलैया तथा हम्माल सदस्य के उप निर्वाचन 2014 में निम्नानुसार व्यापारी सदस्य एवं तुलैया तथा हम्माल सदस्य (प्रतिनिधि) निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री हरिओम गुप्ता	व्यापारी सदस्य	वार्ड क्र. 2 पलेरा
2	श्री पूरन लाल ढीमर	तुलैया तथा हम्माल सदस्य	ग्राम व पोस्ट पुरैनिया तहसील पलेरा

केदार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वा.).

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. क्यू-एससी-2016-178.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एम-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 के नियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2016 के लिये विदिशा जिले में नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्र.	त्यौहार का नाम	स्थानीय दिनांक	अवकाश दिन	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मकर संक्रांति	15 जनवरी 2016	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला
2	रंग पंचमी	28 मार्च 2016	सोमवार	सम्पूर्ण जिला
3	दीपावली का दूसरा दिन	31 अक्टूबर 2016	सोमवार	सम्पूर्ण जिला

उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला विदिशा मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. क्यू-ए.पी.डी.-2016-583.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) के बिन्दु क्रमांक (ज) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला विदिशा कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती मिथलेश बाई पत्नी श्री हेतराज यादव, जनपद सदस्य, वार्ड क्र. 18 लटेरी, जिला विदिशा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लटेरी, जिला विदिशा.	1972 की धारा 11 (1)

विदिशा, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्र. क्यू-ए.पी.डी.-2016-1454.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिसूचना, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला विदिशा जिले के

अधीन कृषि उपज मण्डी समिति, विदिशा हेतु निम्नानुसार विधायक प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि निर्दिष्ट किया गया है	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री छोटेलाल सम्भरवार पुत्र श्री उमेद जी निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, विदिशा.	मा. श्री सूर्यप्रकाश मीना, विधायक, शमशाबाद, विधान सभा क्षेत्र क्र. 148.	1972 की धारा 11 (1) (घ)

विदिशा, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्र. क्यू-ए.पी.डी.-2016-1488.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिसूचना, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला विदिशा कृषि उपज मण्डी समिति, लटेरी में सांसद प्रतिनिधि लटेरी के रूप में निम्नानुसार नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राजाराम यादव पुत्र श्री बादल सिंह यादव, निवासी ग्राम राधोगढ़ (छोटी) तहसील लटेरी.	मान. श्री लक्ष्मीनारायण यादव सांसद सदस्य 05 सागर लोकसभा.	1972 की धारा 11 (5)

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश  
नरसिंहपुर, दिनांक 7 जनवरी 2016

क्र. 424-व.लि.-1-16.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नरेश पाल, कलेक्टर, नरसिंहपुर वर्ष 2016 में नरसिंहपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्र.	दिनांक	दिवस	त्यौहार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	15 जनवरी 2016	शुक्रवार	मकर संक्रांति
2	28 मार्च 2016	सोमवार	रंग पंचमी
3	19 अगस्त 2016	शुक्रवार	कजलिया

उक्त अवकाश कोषालाय/उपकोषालय पर लागू नहीं होगा.

नरेश पाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्र. 677-मंडी उप निर्वा.-15.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, 71-खेतिया, जिला बड़वानी के लिए रिक्त वार्ड क्रमांक 10 (अ.जा.मुक्त) के उप निर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक सदस्य को निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

वार्ड क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
10	श्री रामलाल पिता लिमडिया	कृषक सदस्य	ग्राम चिचल्या पो. मोयदा तहसील पानसेमल.

अजय सिंह गंगवार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वा.).

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश**  
हरदा, दिनांक 4 फरवरी 2016

क्र. 1363-2016-स्थापना.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 के नियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला हरदा में वर्ष 2016 के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं :—

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	28 मार्च 2016	सोमवार	रंग पंचमी
2	10 अक्टूबर 2016	सोमवार	महानवमी (दुर्गा नवमी)
3	31 अक्टूबर 2016	सोमवार	अन्नकूट (दीपावली का दूसरा दिन)

2. यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.

**श्रीकांत बनोट, कलेक्टर.**

**कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश**

राजभवन, भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2016

क्र. एफ-1-3-11-रा.स.-यू.ए.-1-244.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 14 की उपधारा (6) के प्रावधानान्तर्गत आदेश क्रमांक एफ-1-3-11-रा.स.-यू.ए.-1-954, दिनांक 13 अगस्त 2015 द्वारा डॉ. आशुतोष मिश्रा, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को विश्वविद्यालय के नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिए नाम-निर्देशित किया गया था.

2. चूंकि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है और चूंकि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (6) में वर्णित छः माह की कालावधि दिनांक 16-2-2016 को समाप्त हो रही है, अतः उक्त धारा 14 की उपधारा (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, एतद्वारा डॉ. आशुतोष मिश्रा, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को दिनांक 17-2-2016 से अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये नाम-निर्देशित करता हूँ.

**राम नरेश यादव, कुलाधिपति.**

**राज्य शासन के आदेश**  
**नर्मदा घाटी विकास विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2016

क्र. एफ-31-5-2016-सत्ताईस-एक.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा-2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) एवं मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कॉलम (3) तथा कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

स.क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम	सारणी		
		ग्रामों की संख्या	कार्य का कमाण्ड क्षेत्र (विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर में))	कृषक संगठनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>वृहद परियोजना :</b>			
	(i) ओंकारेश्वर परियोजना नहर प्रणाली (चतुर्थ चरण समूह क्रमांक-1) जिला खरगोन.	158	28073	14
	(ii) ओंकारेश्वर परियोजना नहर प्रणाली (चतुर्थ चरण समूह क्रमांक-2) जिला धार.	129	29947	15
	<b>योग . .</b>	<b>287</b>	<b>58020</b>	<b>29</b>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**लक्ष्मीकान्त दिववेदी, उपसचिव.**

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 1 फरवरी 2016

क्र. भू-अर्जन 15 (अ-82) 2015-2016-1125.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 की तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा "समाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	शहपुरा	रमपुरी प.ह.नं. 58.	161/1 162 144 145 146 153/3 154	0.02 0.16 0.05 0.05 0.16 0.18 0.26	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
			योग . .	0.880	देवरी जलाशय नहर निर्माण कार्य.
			शासकीय भूमि	0.00	
			सकल योग . .	0.880	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन 16 (अ-82) 2015-2016-1124.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 की तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा "समाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस

आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	देवरीकला प.ह.नं. 58.	13/2 14 16 15	0.06 0.27 0.17 0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	देवरी जलाशय नहर निर्माण कार्य.
				योग . .		
				0.560		
				शासकीय भूमि		
				0.00		
				सकल योग . .		
				0.560		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन 17 (अ-82) 2015-2016-1123.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 की तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा "समाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बिछिया प.ह.नं. 57.	474 477 479/2 480 481 482 436 435/1 487 475/1 475/2	0.03 0.15 0.08 0.12 0.08 0.09 0.19 0.12 0.16 0.10 0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बडझर जलाशय के अंतर्गत (मुख्य नहर एवं माइनर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			475/3	0.07		
			476/2	0.04		
			477	0.10		
			440	0.06		
			441/2	0.08		
			441/3	0.07		
			443	0.10		
			445	0.01		
			431/1	0.05		
			431/2	0.06		
			430	0.02		
			424	0.08		
			444	0.02		
			425	0.01		
			योग .	1.95		
			शासकीय भूमि	0.08		
			सकल योग .	2.030		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन 18 (अ-82) 2015-2016-1122.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 की तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा "समाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बडझर प.ह.नं. 59.	141	0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बडझर जलाशय के अंतर्गत (मुख्य नहर).
			146/1	0.02		
			147/1	0.03		
			146/2	0.02		
			147/2	0.03		
			146/3	0.02		
			147	0.03		
			3/2	0.12		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2	0.06		
			1	0.04		
			7	0.04		
			8	0.05		
			9	0.08		
			योग . .	<u>0.600</u>		
		शासकीय भूमि		<u>0.00</u>		
		सकल योग . .		<u>0.600</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन 19 (अ-82) 2015-2016-1121.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्रों, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 की तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा “समाजिक समाघात रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बडझर प.ह.नं. 59.	130/1	0.43	कार्यपालन यंत्रों, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बडझर जलाशय के अंतर्गत.
			3/2	0.05		
			142/1	0.01		
			143/1	0.01		
			142/2	0.01		
			143/2	0.01		
			143/3	0.01		
			137	0.04		
			138/1	0.04		
			135	0.04		
			4	0.02		
			योग . .	<u>0.670</u>		
		शासकीय भूमि		<u>0.00</u>		
		सकल योग . .		<u>0.670</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
पन्ना, दिनांक 2 फरवरी 2016

प्र. क्र. 058-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	देवेन्द्रनगर	जिगदहा	निजी भूमि रकबा 2.34 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.25 है. <u>कुल रकबा 2.59 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 059-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	देवेन्द्रनगर	नुनाही	निजी भूमि रकबा 4.86 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.47 है. <u>कुल रकबा 5.33 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 060-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती

है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	रेमजीसागर	निजी भूमि रकबा 4.140 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.136 है. <u>कुल रकबा 4.276 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 061-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	पिपरिया	निजी भूमि रकबा 2.350 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.150 है. <u>कुल रकबा 2.500 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 062-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	दुबहिया	निजी भूमि रकबा 7.30 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.08 है. <u>कुल रकबा 7.38 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 064-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	सिमरी वैश्य	निजी भूमि रकबा 5.15 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.14 है. <u>कुल रकबा 5.29 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 063-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	बमुरी	निजी भूमि रकबा 1.389 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 1.389 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 066-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	फुलदरी	निजी भूमि रकबा 8.04 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.19 है. <u>कुल रकबा 8.23 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्र. 627-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम भोलगढ़ की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
उमरिया	मानपुर	भोलगढ़	6.324	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र. 3 देवलौंद जिला-शहडोल (म. प्र.).	बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एल. साकेत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 9 फरवरी 2016

प. क्र. 1267-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा रा.नि.म. धनौरा.	धनौरा खुर्द प.ह.नं. 24.	1.21	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी	नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 1269-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा रा.नि.म. धनौरा.	आमानाला प.ह.नं. 32.	1.30	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 1271-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा रा.नि.म. धनौरा.	खिरखिरी प.ह.नं. 33.	1.60	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 1273-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा रा.नि.म. धनौरा.	आमानाला प.ह.नं. 32	0.25	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 1275-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा रा.नि.म. धनौरा.	रैपुरा प.ह.नं. 44.	0.74	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 1277-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा रा.नि.म. धनौरा.	तिघरा प.ह.नं. 32.	0.36	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 1279-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा रा.नि.म. धनौरा.	कुआखेड़ा प.ह.नं. 32.	1.37	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 1281-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	अमोली	0.10	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी.	नहर निर्माण हेतु.
	रा.नि.म. धनौरा.	प.ह.नं. 33.			

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 11 फरवरी 2016

प. क्र. अ-82-2015-16-छतरपुर.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, सिंहपुर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है, इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	अक्टोहां	0.280	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 12th February 2016

Jabalpur, the 16th October 2015

No. D-5653-II-15-18-2005.—In exercise of powers conferred by sub-section (l) of Section 28 of the Right to Information Act, 2005, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh (Competent Authority), hereby makes following amendments in the High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2006, which were published in the M.P Gazette Extra Ordinary dated 4th of March 2006:—

The new provisions regarding preservation and elimination of record be inserted as Rules 9 in the High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2006 after Rule 8 as under:—

**9. Preservation and Elimination of Record.—**

- (1) The record pertaining to RTI application be preserved for a period of one year from the date of disposal of application or in case an appeal is filed, till the disposal of appeal whichever is later and shall thereafter be destroyed with the sanction of competent authority.
- (2) No record shall be eliminated or destroyed without the previous sanction of the Competent Authority and the fact of elimination or destruction shall be entered in the Elimination Register to be maintained by the Incharge Elimination Cell (Record-Room Admin).
- (3) The elimination or destruction of record shall be carried out in presence of the information clerk under the supervision of Section Officer Record-Room Admin.
- (4) The record shall be eliminated or destroyed by burning or shredding or by such other mode as may be directed by the Competent Authority.
- (5) The record shall be eliminated or destroyed after it is scanned and preserved, as per Digitization Rules 2014.
- (6) The elimination register shall be preserved permanently.

By order of Hon'ble the Chief Justice,

VED PRAKASH, Registrar General.

No. 182-Confdl.-2016-II-3-1-2016.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting Workshop on—Key issues of recent laws relating to crime against women & children including Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 for Judicial Magistrates dealing cases under the Act on 5-3-2016 in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop.

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates, summons should not be issued. However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates.
3. The participants shall report by 9.30 a.m. on 05-03-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop.
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find it beneficial.
7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam, A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, A.G. III on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A.G. I on Mobile No. 08878747939

at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles. The judicial officers included in the training programmes will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only) according to their programme.

8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of & MPSJA building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules. However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
9. As the Workshop is of two days duration and the programme will conclude by 5.30 p.m. the participants will be permitted to leave the Academy prior to the conclusion of the programme. Therefore, they are directed to make their return reservations accordingly.
10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto the end of training.

However, accommodation shall be made available from the preceding day of training to 10.00 a.m. of the succeeding day of training only to those participants who are not able to arrive in the hours mentioned above due to non-availability of proper train/bus facility from their respective places of posting.

11. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop, free of charge.

Jabalpur, the 16th February 2016

No. 185-Confdl.-2016-II-3-1-2016.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting Workshop on—Negotiable Instruments Act, 1881 for Judicial Magistrates dealing cases under the Act on 12-03-2016 in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop.

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates, summons should not be issued. However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates.
3. The participants shall report by 9.30 a.m. on 12-03-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop.
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find it beneficial.
7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam, A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, A.G. III on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A.G. I on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles. The judicial officers included in the training programmes will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only) according to their programme.

8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of MPSJA building. At

present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules. However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.

9. As the Workshop is of one day duration and the programme will conclude by 5.30 p.m. the participants will not be permitted to leave the Academy prior to the conclusion of the programme. Therefore, they are directed to make their return reservations accordingly.
10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto the end of training.

However, accommodation shall be made available from the preceding day of training to 10.00 a.m. of the succeeding day of training only to those participants who are not able to arrive in the hours mentioned above due to non-availability of proper train/bus facility from their respective places of posting.

11. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop, free of charge.

By order of Hon'ble the Chief Justice,  
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्र. D-6391-दो-3-420-80-भाग-ग्यारह.—श्री राधा कृष्ण गुप्ता, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुँरैना को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 203 दिवस (दो सौ तीन दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-

एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

### गणना-पत्रक

1. श्री राधा कृष्ण गुप्ता, सेवानिवृत्त : 26-12-1985  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
मुँरैना का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-10-2015
3. नियुक्ति दिनांक : 01 वर्ष, 2 माह,  
26-12-1985 से दिनांक 13 दिन.  
09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 28 वर्ष, 07 माह,  
सेवानिवृत्ति दिनांक तक 21 दिन.  
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : 1 × 15 = 15 दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 15 दिन  
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 28=14×15=210 दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से  
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 225 दिन  
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 22 दिन  
लिया गया अवकाश  
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 203 दिन  
अवकाश समर्पण की पात्रता.  
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को शेष अर्जित अवकाश  
240+15 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E-301-दो-3-420-80-भाग-ग्यारह.—श्री ओमप्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2015 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 187 दिवस (एक सौ सत्तासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

### गणना-पत्रक

1. श्री ओमप्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त : 08-11-1985  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रतलाम का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-11-2015
3. नियुक्ति दिनांक : 01 वर्ष, 4 माह,  
8-11-1985 से दिनांक 01 दिन.  
09 03-1987 तक कुल सेवा  
अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 28 वर्ष, 08 माह,  
सेवानिवृत्ति दिनांक तक 20 दिन.  
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित :  $1 \times 15 = 15$  दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 15 दिन  
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित :  $28=14 \times 15=210$  दिन  
अवधि हेतु समर्पण  $1 \times 7=07$  दिन  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से  
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 232 दिन  
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 45 दिन  
लिया गया अवकाश  
समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 187 दिन  
अवकाश समर्पण की पात्रता.  
(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2015 को शेष अर्जित अवकाश  
215 दिन).

**नोट.**—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्र. A-429-दो-2-45-2013.—श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 26 से 29 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-431-दो-2-6-2016.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 15 से 16 फरवरी 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-433-दो-2-109-2006.—श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 8 से 9 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 06 एवं 7 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-435-दो-2-5-2015.—श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 22 से 25 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सरिता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-1118-दो-2-30-2014.—श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 15 से 18 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 13 एवं 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2016

क्र. E-1138-दो-2-59-2013.—श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 14 से 17 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि एन. के. सत्संगी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-566-दो-2-2-2016.—श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 18 से 20 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.**

जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्र. 153-गोपनीय-2016-II-3-1-2016- (Pt. A).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में

लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ दो में दर्शित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्तंभ तीन में दर्शित दिनांक से, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) ( यथा संशोधित ) नियम 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं ( वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण ) ( यथा संशोधित ) नियम 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीशों ( प्रवेश स्तर ) ( व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 ) को उनकी व्यवहार न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने के दिनांक से, व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड-2 ) प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] वेतनमान रुपये 33090— 920— 40450—1080—45850/- प्रदान करता है:—

क्र. अधिकारी का नाम व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड-2 ) प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] वेतनमान रुपये 33090— 920— 40450—1080—45850/- प्रदान किये जाने का दिनांक

(1) (2) (3)

1	श्री गौतम भट्ट	1-4-2013
2	श्री वैभव सक्सेना	31-3-2013
3	श्री मनोज तिवारी	25-8-2013
4	श्री नंदराम परमार	1-4-2013
5	श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई	10-9-2014
6	श्री अमित सिंह सिसोदिया	23-4-2013
7	श्री पंकज श्रीवास्तव	24-4-2013
8	श्री जयंत शर्मा	23-4-2013
9	श्री अभिनव कुमार जैन	25-4-2013
10	श्री समरेश सिंह	3-5-2013
11	श्रीमती रश्मि मिश्रा	21-4-2013
12	श्रीमती पल्लवी द्विवेदी	23-4-2013
13	श्री अमर गोयल	21-4-2013
14	श्रीमती प्राची पटेल	22-4-2013
15	श्री देवेश उपाध्याय	16-7-2013
16	श्री कपिल नारायण भारद्वाज	28-7-2013
17	श्री सिद्धार्थ तिवारी	21-7-2013
18	श्री भरत कुमार व्यास	31-7-2013
19	श्री जफर इकबाल	24-4-2013
20	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (सी.नि.)	23-7-013

(1)	(2)	(3)
21	श्री ब्रजेश गोयल	16-7-2013
22	श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगरहृषि	17-7-2013
23	श्री अरविंद कुमार शर्मा	28-7-2013
24	श्री अभिषेक सक्सेना	25-7-2013
25	श्री विवेक शुक्ला	28-7-2013
26	श्री अतुल सक्सेना	21-7-2013
27	श्री हिमांशु शर्मा	23-7-2013
28	श्री मनीष कुमार लोवंशी	21-7-2013
29	श्री आसिफ अहमद अब्बासी	21-7-2013
30	श्रीमती मीनल श्रीवास्तव	17-7-2013
31	श्री अब्दुला अहमद	24-7-2013
32	श्री संजय वर्मा	28-7-2013
33	श्री मनोज कुमार राठी	25-7-2013
34	श्री सुनील दंदोतिया	18-7-2013
35	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (जूनि.)	21-7-2013
36	श्री सूर्य प्रकाश शर्मा	21-7-2013
37	श्री अभिषेक गोयल	21-7-2013
38	श्री राजेश कुमार तिवारी	28-7-2013
39	श्री पंकज चतुर्वेदी	23-7-2013
40	श्री श्रीष कैलाश शुकुल	21-7-2013
41	श्री वारिन्द्र कुमार तिवारी	28-7-2013
42	श्री विनोद कुमार शर्मा	23-7-2013
43	श्री प्रवीण कुमार सिन्हा	25-7-2013
44	श्री राकेश कुमार पाटीदार (सी.नि.)	18-7-2013
45	श्री सुधांशु सिन्हा	29-8-2013
46	श्री अमित कुमार गुप्ता	18-7-2013
47	श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी	23-7-2013
48	श्री मुकेश नाथ	18-7-2013
49	कुमारी ज्योति राजपूत	16-7-2013
50	कुमारी शैलजा गुप्ता	21-7-2013
51	श्री अविनाश शर्मा	19-7-2013
52	श्री प्रशांत शुक्ला	28-8-2013
53	श्री राघवेन्द्र भारद्वाज	22-8-2013
54	श्री तरूण सिंह	28-7-2013
55	श्री अब्दुला आसिफ	28-7-2013
56	श्रीमती मंजुल पाण्डेय	21-7-2013
57	श्री अयान गिरदोनिया	28-7-2013
58	श्री धर्मेश भट्ट	30-7-2013
59	श्री गिराज प्रसाद गर्ग	21-7-2013
60	श्री सचिन जैन	24-7-2013

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
61	श्री अबधेश कुमार श्रीवास्तव	25-8-2013	102	श्री मनीष कुमार पाटीदार	18-7-2013
62	श्री गोपेश गर्ग	21-7-2013	103	कुमारी चारूलता दांगी	17-7-2013
63	श्री विवेकानंद त्रिवेदी	24-7-2013	104	श्री रूपेश नाईक	25-7-2013
64	श्री इंदु कांत तिवारी	29-7-2013	105	श्री विसाल अखंड	21-7-2013
65	श्री रोहित सिंह	25-8-2013	106	श्री हेमराज सनोडिया	24-7-2013
66	श्री नीरज शर्मा	21-7-2013	107	श्री संतोष सैनी	21-7-2013
67	श्री रोहित कटारे	28-7-2013	108	श्री पवन कुमार पटेल	21-7-2013
68	श्री योगीराज पाण्डेय	30-7-2013	109	श्री आशीष परसाई	21-3-2014
69	श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा	24-7-2013	110	श्री मुकेश रावत	18-7-2013
70	श्रीमती आरती शर्मा	18-7-2013	111	श्री सुरेश कुमार शर्मा	23-7-2013
71	श्री महेश कुमार झा	28-7-2013	112	श्री नदीम खान	21-7-2013
72	कुमारी नौशीन खान	23-7-2013	113	श्री निवेश कुमार जयसवाल	19-7-2013
73	डॉ. सुधांशु सक्सेना	24-7-2013	114	श्रीमती मोनिका आध्या	18-7-2013
74	श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया	19-7-2013	115	श्रीमती नजमा बेगम	19-9-2013
75	श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह	29-7-2013	116	श्री आशीष ताम्रकर	18-7-2013
76	श्री आशीष दवंडे	21-7-2013	117	डॉ. श्रीमती सारिका गिरी शर्मा	4-9-2013
77	श्री गौरव प्रज्ञानन	28-8-2013	118	श्री रामसहारे राज	28-8-2013
78	श्री नीलेश कुमार जिरेती	23-7-2013	119	श्री महेन्द्र पाल सिंह	21-7-2013
79	श्री विपिन सिंह भदौरिया	21-7-2013	120	श्री सिराज अली	21-7-2013
80	श्री राजेश शर्मा	19-7-2013	121	श्री दिनेश सिंह राणा	19-7-2013
81	श्री पारस कुमार जैन	18-7-2013	122	श्री कपिल सोनी	26-7-2013
82	श्री धर्मेन्द्र सोनी	25-7-2013	123	श्री कमलेश कुमार सोनी	18-7-2013
83	श्री विवेक कुमार पाठक	23-7-2013	124	श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी	17-7-2013
84	श्री युगल रघुवंशी	22-7-2013	125	श्री राकेश कुमार पाटीदार (जूनि.)	2-8-2013
85	श्री विशाल शर्मा	21-7-2013	126	श्री माधव प्रसाद नामदेव	19-7-2013
86	श्री महेन्द्र मंगोदिया	21-7-2013	127	श्री पंकज जयसवाल	17-7-2013
87	श्री निशिथ खरे	25-7-2013	128	श्री मयंक मोदी	19-8-2014
88	श्री उमेश कुमार पटेल	22-7-2013	129	श्री शिव कुमार कौशल	23-7-2013
89	श्री राघबेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	26-7-2013	130	श्री सुभाष सुनहरे	15-7-2013
90	कुमारी रजनी बाथम	22-7-2013	131	श्री अभिषेक नागराज	18-7-2013
91	श्री विवेक बुखारिया	1-8-2013	132	श्री महेश लाचोरिया	25-7-2013
92	श्री संदीप कुमार जैन	19-7-2013	133	श्री राम प्रकाश अहिरवार	25-7-2013
93	श्री जैनुल आब्दीन	22-7-2013	134	कुमारी पदमा राजोरे	18-7-2013
94	श्रीमती सुचित्रा श्रीवास्तव	21-7-2013	135	श्री प्रसन्न सिंह बहरावत	26-7-2013
95	श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत	18-7-2013	136	श्री पुष्पक पाठक	23-3-2014
96	श्री उत्सव चतुर्वेदी	27-8-2013	137	श्री यशवंत मालवीय	19-7-2013
97	श्री हरीश वानबंशी	21-7-2013	138	श्री पवन कुमार शंखवार	18-7-2013
98	श्री विवेक शिवहरे	31-7-2013	139	श्री राजेन्द्र सिंह शाक्य	21-7-2013
99	श्री उमेश कुमार सोनी	21-7-2013	140	श्री राजीव राव गौतम	19-7-2013
100	श्री महेश कुमार माली	17-7-2013	141	श्री दिनेश कुमार प्रजापति	24-7-2013
101	श्री हरीश चन्द्र पटेल	23-7-2013			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
142	श्री विकास चौहान	26-7-2013	162	श्री सदाशिव दांगोडे	21-7-2013
143	श्री राजेन्द्र प्रसाद सेवेतिया	24-7-2013	163	श्री राम सिंह बघेल	18-7-2013
144	श्री चंदन सिंह चौहान	23-7-2013	164	श्री हीरालाल अलावा	21-7-2013
145	श्री हेमन्त सिंह	17-7-2013	165	श्री अरविंद सिंह तेकाम	26-8-2013
146	श्री अभिलाष जैन	20-3-2014	166	श्रीमती निधि सक्सेना	2-12-2013
147	श्री कौशल किशोर वर्मा	21-7-2013	167	श्री अजय कुमार	20-3-2014
148	श्रीमती प्रीति साल्वे	16-7-2013	168	श्री राजेश जैन	21-3-2014
149	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा	21-7-2013	169	श्री दीपक चौधरी	20-7-2014
150	श्रीमती मंजू सिंह	17-7-2013	170	श्रीमती श्वेता तिवारी	20-7-2014
151	श्री आलोक प्रताप सिंह	21-7-2013	171	श्रीमती बबीता होरा शर्मा	20-4-2014
152	श्री कृष्ण पाल सिंह	28-7-2013			
153	श्रीमती सीता कनोजे	22-7-2013			
154	श्री चौधर सिंह सैयाम	25-7-2013			
155	श्री संजय कुमार भलावी	22-7-2013			
156	श्री महेन्द्र कुमार उइके	25-7-2013			
157	श्री चंदर सेन मुवेल	22-7-2013			
158	श्री पुंजिया बारिया	21-7-2013			
159	श्री प्रवीण कुमार सौंधिया	30-8-2013			
160	श्री कमलेश कुमार कोल	24-7-2013			
161	श्री संजीव कटारे	25-7-2013			

संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों को उनके व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) (व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2) संवर्ग में सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से उन्हें व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] वेतनमान रुपये 33090— 920— 40450— 1080— 45850/- प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें.

जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्र. 169-गोपनीय-2016-दो-3-250/57 (भाग-34).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 (बी) 2-2014-21-ब (एक) (मेरिट क्रमांक ) दिनांक 18/21/29-01-2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

#### सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री अपूर्वा ताम्रकर	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	सुश्री अंकिता शाही	सिंगरौली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सिंगरौली के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	सुश्री दिव्या चौधरी	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	श्रीमती गुंजन पाराशर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).



(1)	(2)	(3)	(4)
5	श्री देवरथ सिंह	नरसिंहपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
6	सुश्री रूचि श्रीवास्तव	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
7	सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल	कटनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कटनी के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
8	सुश्री कामिनी प्रजापति	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
9	श्री सचिन जैन	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, राजगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
10	श्री देव कुमार	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, छतरपुर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
11	श्री तरूणेन्द्र प्रताप सिंह	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
12	श्री सुरेश यादव	होशंगाबाद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
13	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
14	सुश्री संजना सरल	शाजापुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शाजापुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
15	सुश्री संध्या गर्ग	इन्दौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इन्दौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
16	श्री अंशुमन धुन्ना	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रतलाम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
17	श्री मनीष कुमार पारीक	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.